

10.05.18

अभिलेख उपस्थापित किया गया।

अतिक्रमणकारी

को कार्रवाई नोटिस निर्गत करने के बावजूद
अतिक्रमण खाली नहीं किया गया। फलतः 1994
कार्ड द्वारा मरुत श्री सुनि खाला (नं 322
प्लॉट 1336, 1337 में चापदेवा) दिया
गया उसे खाली कर दिया गया।
खाली करने सम्बन्धित फोटो इस अभिलेख
में संलग्न हैं मुख्य मंत्री कार्रवाई

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की
तारीख और
स्थान

2

Contract No 2017, 4889 दिनांक -
2/5/17 का अनुपालन कर दिया गया -
आवृत्त आगितेय भी -
आवृत्त पद भी जारी है

10.05.18
अचल अधिकारी
स्वद